भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4393 का उत्तर

अनधिकृत रेलवे स्टेशन हॉकर्स

4393. डॉ. शर्मिला सरकार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार अधिकृत प्लेटफार्म हॉकरों की संख्या कितनी है और उनसे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में तथाकथित अधिकृत हॉकरों ने स्थानीय नेताओं/रेलवे कर्मचारियों/पुलिस के सहयोग से/अन्य प्रकार से स्टेशन परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो संबंधित आंकड़े क्या हैं और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को खानपान सेवाएँ स्थैतिक खानपान इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। खानपान और यात्रा संबंधी अन्य विविध वस्तुओं की बिक्री केवल मोबाइल और स्थैतिक इकाइयों के लाइसेंसधारियों द्वारा अधिकृत विक्रेताओं/वेटरों के माध्यम से ही अनुमत है।

भारतीय रेल में यात्री क्षेत्र में अनधिकृत रूप से फेरी लगाना और बेचना प्रतिबंधित है। यह रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नियमित अभियान चलाए जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय रेल को स्टेशनों पर स्थैतिक खानपान इकाइयों के लाइसेंसधारियों से कुल 1292.57 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ है।

****